इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर
सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005
धारा – 4(1) b–1
विभागीय संरचना

प्रस्तावना :–

1– इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर का गठन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा दिनांक 09.05.1977 को किया गया। प्राधिकारी को विकास योजना में प्रस्थापना को क्रियान्वित करने, एक या अधिक नगर विकास योजना तैयार करने, विस्तार या सुधार के लिये भूमि अर्जन करने तथा उसका विकास करने के कर्तव्यों के अधिकार प्राप्त हैं।

2& संरचना :–

प्राधिकरण में समय–समय पर संचालक मण्डल जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 05 अशासकीय सदस्य सम्मिलित हैं की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नगर पालिक निगम के आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक, मुख्य वन संरक्षक, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर नियुक्त अन्य अधिकारी सदस्य होते हैं। संचालक मण्डल में मुख्य कार्यपालिक अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में होते हैं।

संचालक मण्डल के सदस्य सचिव मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होते हैं एवं दैनंदिनी के कार्यों के संचालन/पर्यवेक्षण राज्य शासन को नगर तथा ग्राम निवेश की धारा 52 के तहत निर्देश देने की शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसके अंतर्गत प्राधिकारी के नीतिगत कार्यों की अनुमति राज्य शासन से प्राप्त की जाती है। प्राधिकारी द्वारा अपने कार्यों को सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिये अपने कृत्यों को 10 विभागों में विभाजित किया है जो निम्नानुसार है –

1. कार्य एवं कर्तव्य

भू–अर्जन शाखा

इस शाखा के प्रमुख भू–अर्जन अधिकारी होते हैं। शाखा का मुख्य कार्य नगर विकास योजना तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग जो मास्टर प्लान में निहित हो उक्त बाबद योजना घोषित कर यथा योग्य तरीके से एवं शासन नियमानुसार भूमि का अर्जित कर योजना क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करवाना एवं इस हेतु समय–समय पर प्राधिकारी द्वारा शासन द्वारा घोषित नियमो का पालन कर कार्यवाही की जाती है।

2. नियोजन शाखा

इस शाखा के प्रमुख मुख्य नगर नियोजक होते हैं। नियोजन शाखा का मुख्य कार्य अर्जित भूमि पर योजनाओं का अभिन्यास संबंधी स्वीकृति एवं शासन नियमानुसार अन्य स्वीकृतियाँ प्राप्त कर क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराना, साथ ही शाखा का कार्य मास्टर प्लान के अंतर्गत नियोजित विकास करने में मास्टर प्लॉन के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना है।

3. तकनीकी शाखा

इस शाखा के प्रमुख मुख्य अभियंता होते हैं। तकनीकी शाखा का मुख्य कार्य योजना का क्रियान्वयन हेतु गुणवत्ता पूर्वक विकास कार्य किया जाना है। योजनाओं के अतिरिक्त गैर योजना मद के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। शाखा के अंतर्गत विकास की गई योजनाओं का संधारण इन्दौर नगर पालिक निगम इन्दौर को हस्तांतरित होने तक किया जाता है एवं शाखा द्वारा अमानती कार्य के रूप में निर्माण भी किया जाता है।

4. वित्त एवं लेखा शाखा

शाखा के प्रमुख प्रथम श्रेणी लेखा अधिकारी होते हैं शाखा का मुख्य कार्य बजट बनाकर संस्था के आय एवं व्यय संबंधी कार्यों का संचालन, पर्यवेषण किया जाता है। तकनीकी शाखा द्वारा किये गये निर्माण एवं अन्य कार्यों के देयकों का परीक्षण कर

नियमानुसार भुगतान करने की कार्यवाही की जाती है। इस शाखा द्वारा आय व्यय का लेखा संधारित किया जाता है।

5. संपदा शाखा

इस शाखा के प्रमुख संपदा अधिकारी होते हैं। शाखा का मुख्य कार्य प्राधिकारी की व्ययन हेतु उपलब्ध संपत्तियों का शासन द्वारा समय–समय पर जारी व्ययन नियमों के प्रावधानों के अनुसार व्ययन किया जाता है। इस शाखा द्वारा प्राधिकारी की संपत्ति के व्ययन एवं व्ययन नियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतरण, नवीनीकरण, भू–स्वामी अधिकार संपरिवर्तन एवं अन्य कार्य निर्धारित व्ययन नियम के प्रावधानों के अनुसार किये गये।

6. प्रशासन शाखा

इस शाखा के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होते हैं। शाखा का प्रमुख कार्य संपूर्ण प्राधिकरण के प्रशासकीय दायित्वों के निर्वहन एवं नियंत्रण का होता है, सेवाकाल से संबंधित प्रकरण, जनसंपर्क, तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का संधारण, स्टेशनरीस्टोर एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाना है।

7. कम्प्यूटर शाखा

इस शाखा के प्रमुख ई.डी.पी. मैनेजर होते है। शाखा का प्रमुख कार्य ई–टेंडर के माध्यम से निर्माण एवं संपत्ति व्ययन की निविदाएँ आमंत्रित की जाती है एवं समस्त शाखाओं से कम्प्यूटर संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाता है साथ ही संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा संधारित साफ्टवेयर के अपडेशन से संबंधित कार्यों का निष्पादन निर्देशानुसार किया जाता है।

8. विधि शाखा

इस शाखा के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। शाखा का प्रमुख कार्य प्राधिकरण से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित विधिक प्रकरणों में प्राधिकारी का पक्ष प्रस्तुत करना एवं आवश्यक होने पर विधिक राय प्राप्त करने सहित अन्य विधिक कार्यों का निष्पादन करना।

9. लोक सूचना शाखा

इस शाखा के प्रमुख लोक सूचना अधिकारी होते हैं। इस शाखा द्वारा म.प्र. लोक सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण प्राधिकरण की समस्त शाखाओं से समन्वय स्थापित कर किया जाता है।

10. मार्केटिंग

इस शाखा के प्रमुख जन संपर्क अधिकारी होते हैं। इस शाखा द्वारा समय–समय पर प्राधिकरण की व्ययन योग्य संपत्तियों के संबंध में विज्ञापन जारी करना, आवश्यक प्रचार प्रसार करना एवं संपत्ति के संबंध में जन–सामान्य को जानकारी उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है।

11. विशेष –

इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी कर प्राप्त निर्देशानुसार कार्यक्रमों की सफलता हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

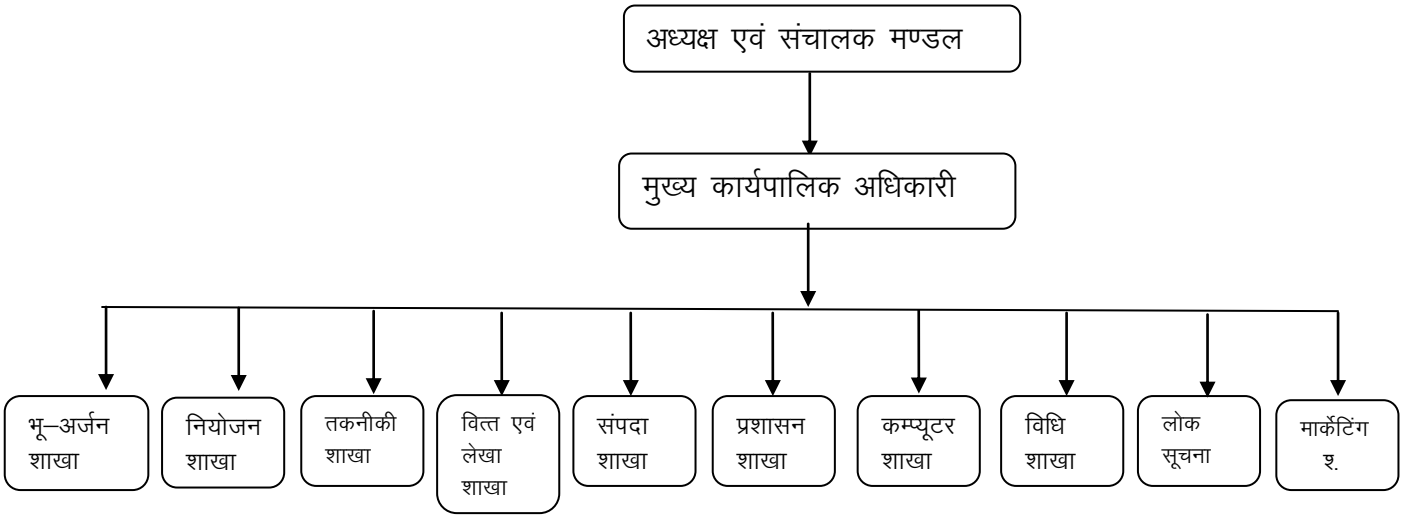
अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
भू–अर्जन शाखा
नियोजन शाखा
तकनीकी शाखा
वित्त एवं लेखा शाखा
संपदा शाखा
प्रशासन शाखा
कम्प्यूटर शाखा
विधि शाखा
लोक सूचना
मार्केटिंग श.

भू–अर्जन शाखा

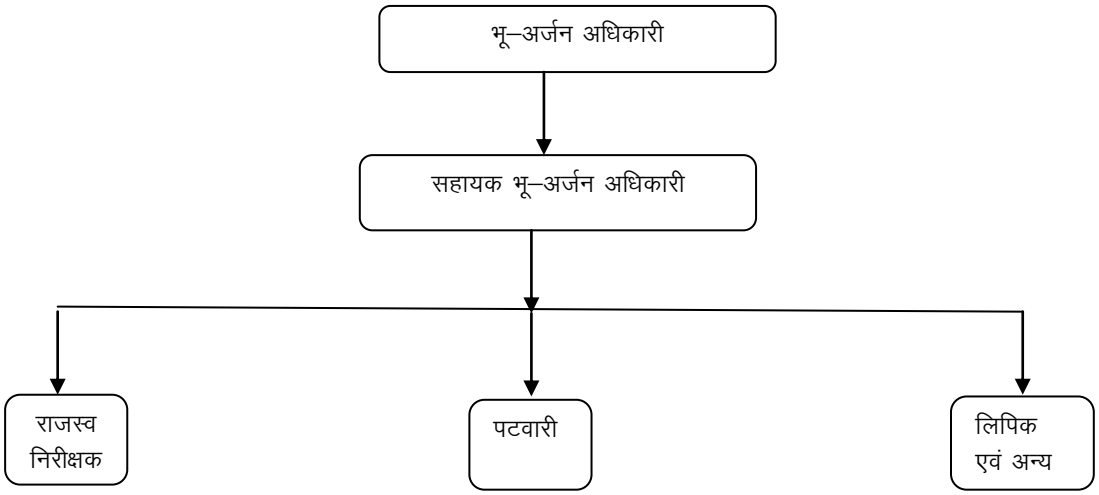
भू–अर्जन अधिकारी
सहायक भू–अर्जन अधिकारी
राजस्व निरीक्षक
पटवारी
लिपिक एवं अन्य

नियोजन शाखा

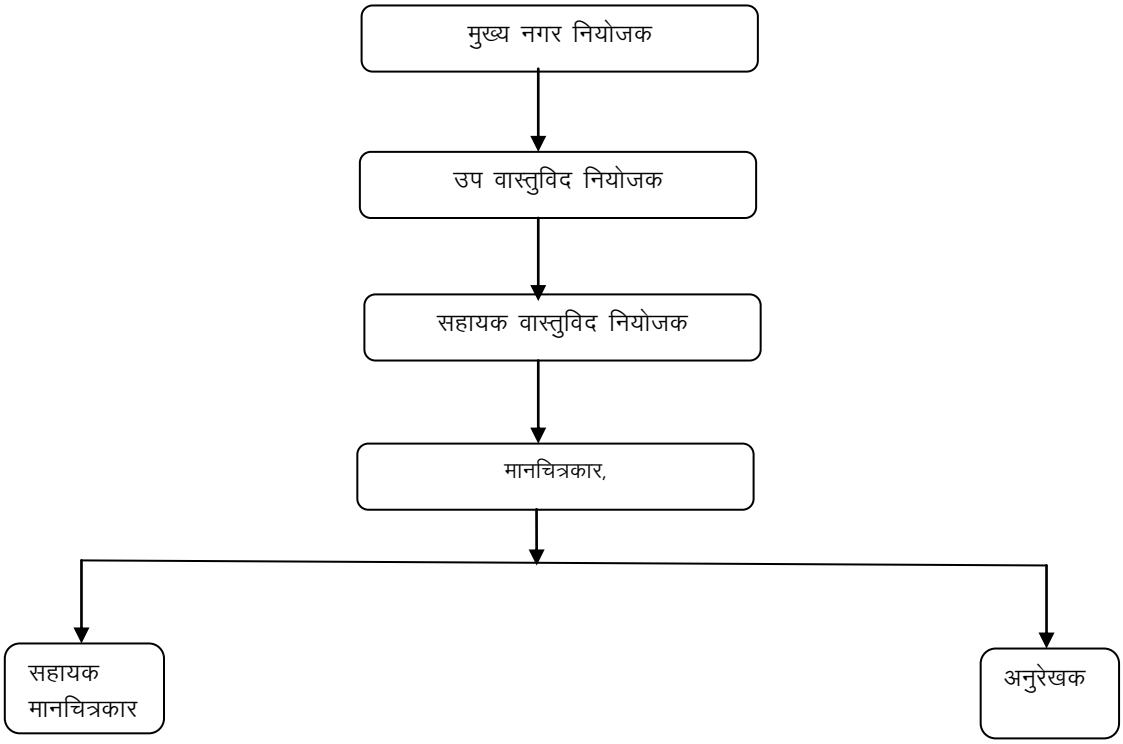

तकनीकी शाखा

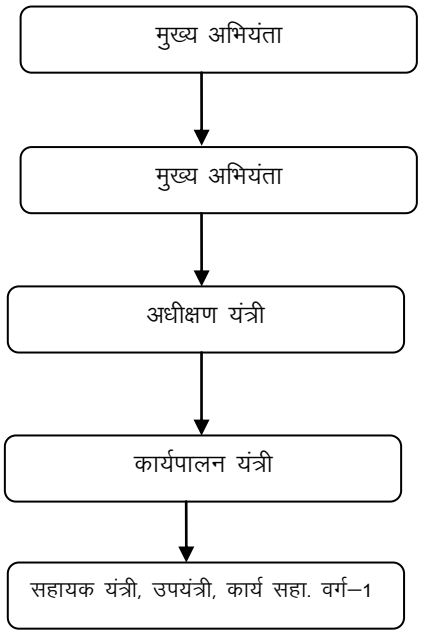

वित्त एवं लेखा शाखा

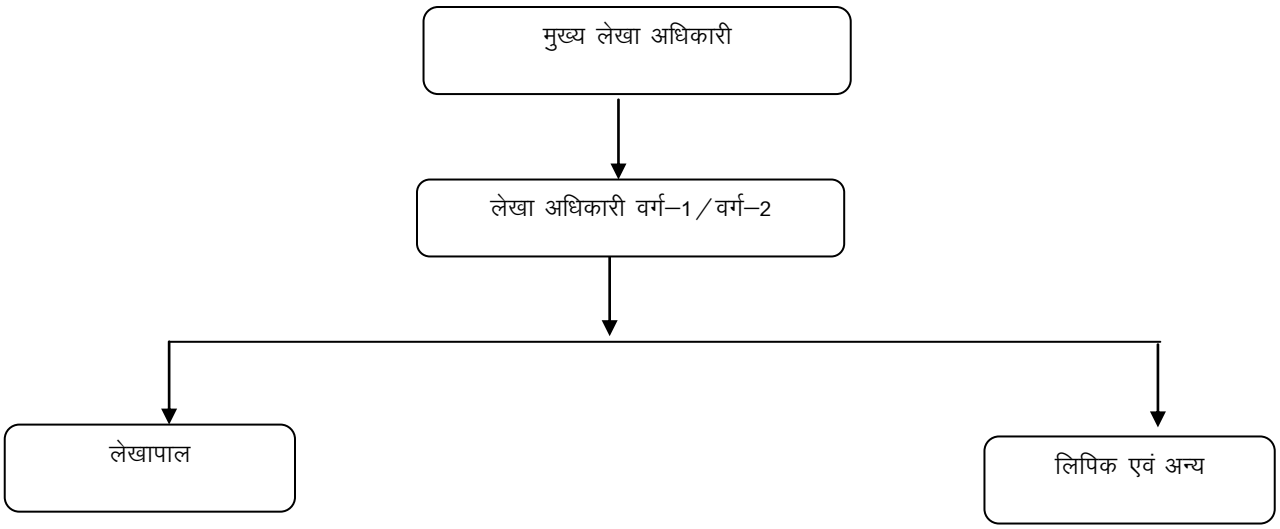

संपदा शाखा

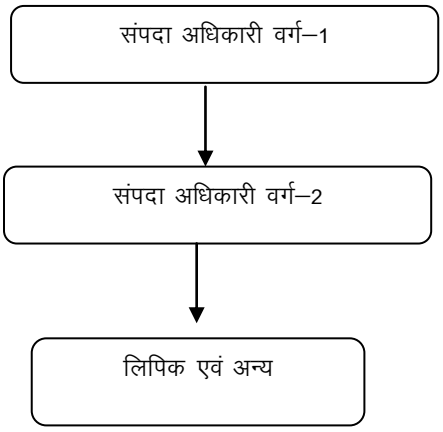

प्रशासन शाखा

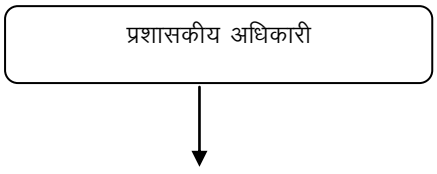

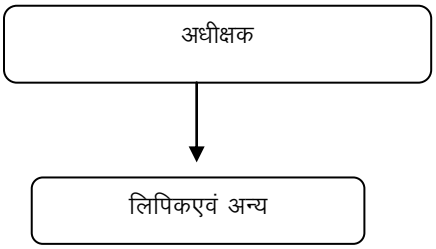

कम्प्यूटर शाखा

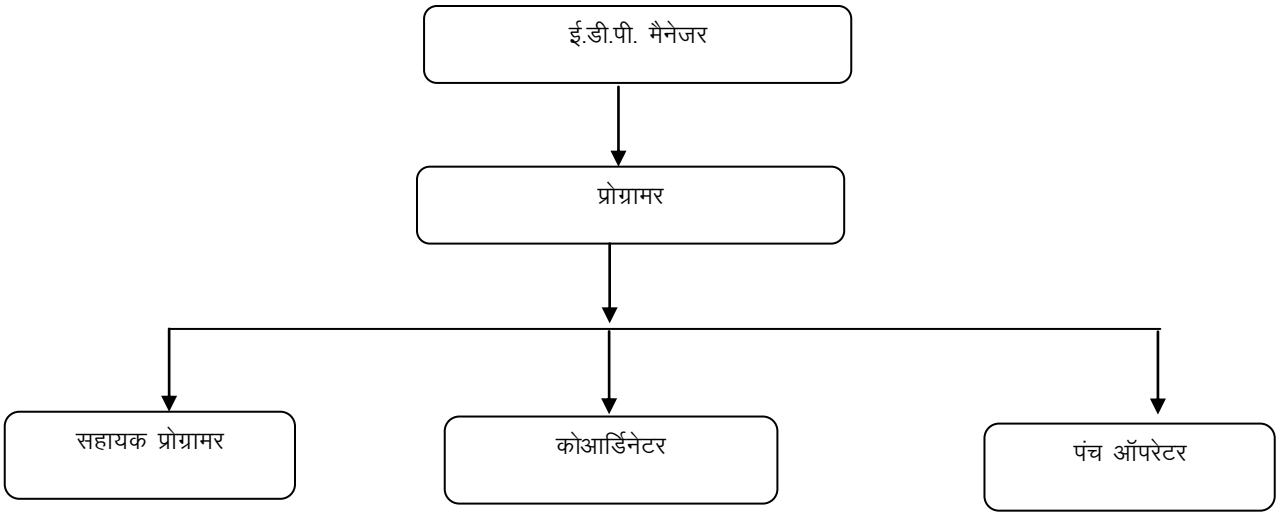

विधि शाखा

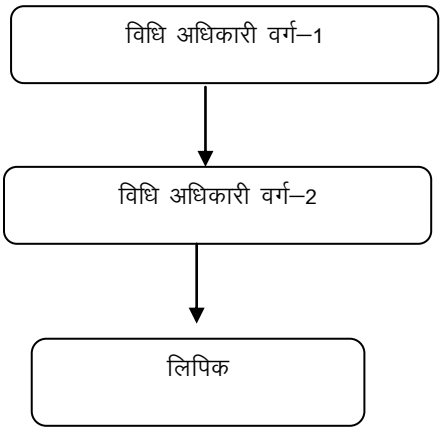

लोक सूचना शाखा

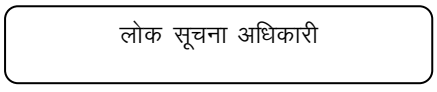

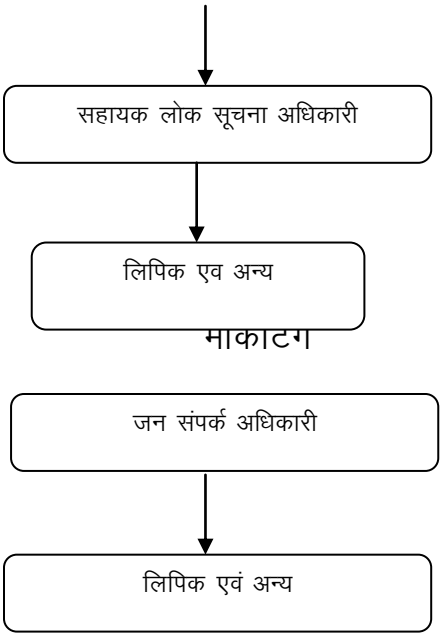
सहायक लोक सूचना अधिकारी
लिपिक एव अन्य
मार्केटिंग
जन संपर्क अधिकारी
लिपिक एवं अन्य